30.9.2022 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील वादी उप0। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि राजस्व ग्राम बरसिंगवास पटवार हल्का आगवाड़ी स्थित भूमि खाता सं0 35 के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम चन्द्रा पुत्र गुट्टा दर्ज रिकार्ड है जो गलत है जबकि वादी का वास्तविक नाम रामचन्द्र पुत्र गुट्टा है। दौराने दर्ज करने विरासतन नामान्तरकरण राजस्व कार्मिकों ने त्रुटिवश रामचन्द्र के स्थान पर चन्द्रा दर्ज कर दिया जिस कारण वादी को भारी हकतल्फी है। अतः वादग्रस्त आराजी के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम चन्द्रा के स्थान पर रामचन्द्र दर्ज किया जावे। वादी ने वादपत्र के समर्थन में बतौर साक्ष्य स्वयं के तथा गवाहान रामपाल पुत्र गिरधारी जाति बलाई निवासी मालनगर के लिखित व तस्दीकशुदा शपथ पत्र प्रस्तुत किये है जिनसे भी वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि की गयी । जिरह शून्य रही। बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त आराजी मे वादी का नाम चन्द्रा पुत्र गुट्टा गलत दर्ज है जबकि वादी का सही नाम रामचन्द्र पुत्र गुट्टा है जिसकी पुष्टि वाद पत्र के समर्थन में बतौर साक्ष्य प्रस्तुत शपथ पत्रों से भी होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात से वादपत्र वादी साबित है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

आदेश

वाद सं0 236/2021
निर्णय दिनांक 30.09.2022

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम बरसिंगवास पटवार हल्का आगवाड़ी स्थित भूमि खाता सं0 35 कुल किता 01 कुल रकबा 3.64 हैक्टे0 के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम **चन्द्रा** के स्थान पर **रामचन्द्र** दुरुस्त करें। शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीब हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्राावली बाद फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)